

यालय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर

नवान

रामकिशोर

बनाम

शुभनपत्नी

क्रमा नं

वाक-५७

२२७/२५

(लशादित अर्पित पत्र किया गया) आदि

वहसीतदार सीकर लेविभाजन प्रस्ताव प्राप्त
 आदि उभयपक्ष ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार
 अन्तिम दिष्टी जारी करने में अपनी सहमति
 प्रदान की है। अतः अद्विचारा उभयपक्ष की
 सहमति से वहसीतदार सीकर से प्राप्त विभाजन
 प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तथा विभाजन
 प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम दिष्टी जारी की
 जाती है। विभाजन प्रस्ताव अन्तिम दिष्टी का
 भरण रहेगा। प्रजापत्नी क्रिसल शुमार होम
 नम्बर लिंकम है। शालिल कम्पन है। निर्णय
 आज मेरे दस्तावेज से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर